"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2014—भाद्र 21, शक 1936

भाग 3 (1)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां जिला बस्तर, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 31 मार्च 2014

छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थायें अधिनियम की धारा 69 (1) के अन्तर्गत

क्रमांक/उ.पं.ज./परिसमापन/2014/125.—कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/उपंज/परि./14/37 दिनांक 22-01-2014 द्वारा निम्नलिखित प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को कारण बताओ पत्र सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा 69 (3) के तहत प्रेषित कर अवगत कराया था कि अंकेक्षण टीप के अनुसार तथा अकार्यशील होने के कारण समितियां अकार्यशील एवं निष्क्रिय स्थिति में है तथा सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर साक्ष्य सहित समिति के कारोबार की स्थिति से अवगत करावें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

चूंकि उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र के अन्तर्गत किसी भी समिति द्वारा समिति के कारोबार प्रक्रिया को निरन्तर बनाये रखने हेतु साक्ष्य सहित प्रमाण पत्र अथवा कोई भी निवेदन प्रस्तुत नहीं करने से मैं इस बात से संतुष्ट हूं, कि निम्न वर्णित सहकारी समितियां भविष्य में कार्य नहीं करना चाहती और निष्क्रिय तथा अकार्यशील है.

अतएव मैं एल. एल. बृंझ, उप पंजीयक, सहकारी समितियां जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/एफ 0-15/सहकारिता/19/15-2/2012/1, दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित कारणों के आधार पर निम्नलिखित सहकारी समितियों को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित करता हूं तथा क्रमांक 5 में दर्शित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

अ: :श तत्काल प्रभावशील होगा जो आज दिनांक 31-03-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की जा रही है.

क्रमांक	समिति का नाम	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शा. कर्मचारी सहकारिता विभाग साख सहकारी समिति, जगदलपुर.	जगदलपुर	486/05-11-1966	श्री एम. एल. नंदनवार
2.	बस्तर जिला गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. जगदलपुर.	जगदलपुर	11/23-03-1960	श्री एम. भट्टाचार्य
3.	दी बस्तर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. जगदलपुर.	जगदलपुर	680/24-01-1980	श्री एम. भट्टाचार्य
4.	एन.एम.डी.सी. आदर्श नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जगदलपुर.	जगदलपुर	542/19-09-2008	श्री एम. भट्टाचार्य
5.	डिफेंस इम्पलाई म्यूचल एडिट गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. जगदलपुर.	जगदलपुर	543/14-10-2008	श्री एम. भट्टाचार्य
6.	गंगादेई आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या. बस्तर.	बस्तर	43/30-03-1984	श्री एम. एल. नंदनवार
7.	बंजारिन मत्स्य मछुआ सहकारी समिति मर्या. कोकावाड़ा.	दरभा	65/29-03-1986	श्री एस. एल. कुजूर
8.	आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या. बकावण्ड.	बकावण्ड	412/11-08-1997	श्री सी. एस. नेताम
9.	आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या. गढ़िया.	लोहण्डीगुड़ा	47/27-01-1986	श्री राजेश आचार्य
10.	आदिवासी हरिजन ईंट भट्टा उद्योगिक सहकारी समिति मर्या., हाटकचोरा.	जगदलपुर	273/1993	श्री एम. भट्टाचार्य
11.	किसान मजदूर बांसकला उद्योग सहकारी समिति चेचालगूर.	जगदलपुर	405/03-04-1997	श्री एम. भट्टाचार्य
12.	किसान मजदूर महिला अगरबत्ती सहकारी समिति जामावाड़ा.	जगदलपुर	409/05-05-1997	श्री एम. भट्टाचार्य
13.	आदि. ईट खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या. कलचा.	जगदलपुर	505/29-08-2005	श्री एच. लकड़ा
14.	वनांचल प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समिति मर्या. नानगुर.	जगदलपुर	507/23-09-2005	श्री टी. व्ही. रमणा
15.	प्राथमिक रस्सी उद्योग सहकारी समिति मर्या. छोटेदेवड़ा.	बकावण्ड	427/21-01-1999	श्री सी. एस. नेताम
16.	प्राथमिक महिला ईंट खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या. मालगांव.	बकावण्ड	456/8-02-2002	श्री सी. एस. नेताम
17.	प्राथमिक खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या. तामाकोनी.	जगदलपुर	402/13-03-1997	श्री टी. व्ही. रमणा
18.	प्राथमिक आदि. खनिज सहकारी समिति मर्या. मटकोट.	तोकापाल	439/11-05-2000	श्री एस. एल. कुजूर
19.	प्राथमिक आदि. खनिकर्म सहकारी समिति मर्या. टाकरागुड़ा.	लोहण्डीगुड़ा	472/04-01-2003	श्री राजेश आचार्य
20.	प्राथमिक आदि. खनिज सहकारी समिति मर्या. कोसमी.	बकावण्ड	513/10-11-2006	श्री सी. एस. नेताम
21.	वन धन कोसा सहकारी समिति मर्या. नानगुर	जगदलपुर	435/08-10-1999	श्री टी. व्ही. रमणा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	कोसा सहकारी समिति मर्या. राजनगर	बकावण्ड	470/24-06-2002	श्री सी. एस. नेताम
23.	प्राथमिक वनधन कोसाकृमि पालन सहकारी समिति सतलावण्ड	बकावण्ड	502/31-05-2005	श्री सी. एस. नेताम
24.	प्राथमिक बस्तर वनोपज वानि. एवं उद्यानिकी सहकारी समिति, गारावंड.	जगदलपुर	457/18-02-2002	श्री एस. के. फ्रेंकलीन
25.	प्राथमिक कृषि हर्बल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. जगदलपुर.	जगदलपुर	480/18-08-2003	श्री एस. के. फ्रेंकलीन
26.	प्राथ. वनोपज उद्या. उत्पादक क्रय विक्रय सहकारी समिति मारकेल.	जगदलपुर	484/12-05-2004	श्री एस. के. फ्रेंकलीन
27.	प्राथ. उन्नत कृषि वनो. वनिक उत्पादन क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या. खम्हारगांव.	जगदलपुर	485/21-05-2004	श्री एस. के. फ्रेंकलीन
28.	प्राथ. महिला पौधा उत्पादक सहकारी समिति छोटेदेवड़ा.	बकावण्ड	431/20-05-1999	श्री सी. एस. नेताम
29.	प्राथ. फल एवं साग सब्जी उत्पादक सहकारी समिति तारापुर.	बकावण्ड	475/12-03-2003	श्री सी. एस. नेताम
30.	प्राथ. महिला औद्योगिक सह. समि. मर्या. प्रवीर वार्ड जगदलपुर.	जगदलपुर	517/19-01-2007	श्री एच. लकड़ा
31.	प्राथमिक सेनेटरी मार्ट सह. समि. मर्या. जगदलपुर	जगदलपुर	442/24-10-2000	श्री टी. व्ही. रमणा
32.	प्राथ. टेराकोटा शिल्प सह. समि. मर्या. नगरनार	जगदलपुर	477/16-04-2003	श्री टी. व्ही. रमणा
33.	प्राथ. मा. शेरावली महिला हितग्राही औद्योगिक सह. समिति मर्या. दलपतसागर वार्ड जगदलपुर.	जगदलपुर	519/01-03-2007	श्री एस. के. फ्रेंकलीन
34.	प्राथ. महिला औद्योगिक सह. समिति मर्या. सुभाष वार्ड, जगदलपुर.	जगदलपुर	520/01-03-2007	श्री एस. के. फ्रेंकलीन
35.	प्राथ. महिला हितग्राही सह. समिति मर्या. विवेकानंद वार्ड, जगदलपुर.	जगदलपुर	523/05-07-2007	श्री एस. के. फ्रेंकलीन
36.	पशुपालन सहकारी समिति मर्या. कोसमी	बकावण्ड	524/13-07-2007	श्री सी. एस. नेताम
37.	प्राथ. महिला औद्योगिक सह. समिति मर्या. रमैया वार्ड जगदलपुर.	जगदलपुर	525/09-08-2007	श्री एच. लकड़ा
38.	प्राथ. औद्योगिक सहकारी समिति मर्या. अनुकुल वार्ड जगदलपुर.	जगदलपुर	528/18-11-2007	श्री एच. लकड़ा
39.	प्राथ. बस्तर विकास सहकारी समिति मर्या. सिवनी	बस्तर	530/25-11-2007	श्री एम. एल. नंदनवार
40.	प्राथ. जनकल्याण सहकारी समिति मर्या. कुम्हली	जगदलपुर	532/29-11-2007	श्री एच. लकड़ा
41.	आदि. खनिकर्म सह. समि. मर्या. पिपलावंड (जामगुडापारा) जगदलपुर.	जगदलपुर	554/22-12-2009	श्री एच. लकड़ा
42.	जय अम्बे युवा सह. समि. मर्या. सिरिसगुड़ा (खनिज) तोकापाल.	तोकापाल	553/20-08-2009	श्री एस. एल. कुजूर
43.	प्राथ. अल्प. साख एवं बचत सह. समि. मर्या. जगदलपुर.	जगदलपुर	413/18-08-1997	श्री के. डी. बघेल
44.	युवा बेरोजगार सहकारी समिति मर्या. एर्राकोट	तोकापाल	437/17-02-2000	श्री एस. एल. कुजूर
45.	प्राथ. नवयुवक शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्या. लोहण्डीगुड़	लोहण्डीगुड़ा	496/24-08-2004	श्री राजेश आचार्य
46.	प्राथ. नवयुवक शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्या. दन्तेश्वरी वार्ड जगदलपुर.	जगदलपुर	529/18-10-2007	श्री के. डी. बघेल
47.	प्राथ. शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्या. राजेन्द्र नगर वार्ड जगदलपुर.	जगदलपुर	533/29-11-2007	श्री के. डी. बघेल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48.	प्राथ. शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्या. गुरूगोविन्द सिंह वार्ड, जगदलपुर.	जगदलपुर	535/31-01-2008	श्री के. डी. बघेल
49.	प्राथ. शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्या. लोहण्डीगुड़ा.	लोहण्डीगुड़ा	551/07-07-2009	श्री राजेश आचार्य
50.	प्राथ. महिला बेरोजगार सहकारी समिति मर्या. मारकेल.	जगदलपुर	552/07-08-2009	श्री के. डी. बघेल
51.	प्राथ. हमाल श्रमिक सहकारी समिति मर्या. बकावण्ड.	बकावण्ड	443/24-10-2005	श्री सी. एस. नेताम
52.	प्राथ. श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या. मूतनपाल	बास्तानार	506/23-09-2005	श्री एस. एल. कुजूर
53.	प्राथ. श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या. जगदलपुर	जगदलपुर	426/23-12-1998	श्री के. डी. बघेल
54.	प्राथ. श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या. सरगीपाल	जगदलपुर	461/27-03-2002	श्री के. डी. बघेल
55.	प्राथ. श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या. नगरनार	जगदलपुर	462/19-05-2002	श्री एच. लकड़ा
56.	प्राथ. वनवासी कल्याण एवं विकास सहकारी समिति मर्या. रायकोट.	तोकापाल	511/27-06-2006	श्री एस. एल. कुजूर
57.	प्राथ. वनवासी कल्याण एवं विकास सहकारी समिति मर्या. बालीकोन्टा.	जगदलपुर	515/12-01-2007	श्री टी. व्ही. रमणा
58.	प्राथ. विकास आदर्श सहकारी समिति मर्या. जगदलपुर.	जगदलपुर	493/12-08-2004	श्री टी. व्ही. रमणा

जगदलपुर, दिनांक 6 मई 2014

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उ.पं.ज./परिसमापन/2014/190.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/86 दिनांक 04-02-13 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. भिरलिंगा, विकासखंड बकावण्ड, जिला बस्तर जिसका पंजीयन क्रमांक/451 दिनांक 05-12-2001 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. सी. नेताम, स.वि.अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एल. एल. बृंझ, उप पंजीयक, सहकारी समितियां जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत पंजीयन की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 06-05-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जगदलपुर, दिनांक 19 अगस्त 2014

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उ.पं.ज./परिसमापन/2014/366.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/125 दिनांक 31-03-2014 के द्वारा प्राथमिक रस्सी उद्योग सहकारी समिति मर्या. छोटे देवड़ा, विकासखंड बकावण्ड, जिला बस्तर जिसका पंजीयन क्रमांक/427 दिनांक 21-01-1999 है, को छत्तीसगढ़

सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. सी. नेताम, स.वि.अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एल. एल. बृंझ, उप पंजीयक, सहकारी समितियां जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयन की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 19-08-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एल. एल. बृंझ,
उप पंजीयक.

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नारायणपुर (छ.ग.)

नारायणपुर, दिनांक 27 जून 2014

[छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/स.पं.ना./अंके./परिसमापन/2014/230.—मैं आशीष कुमार शर्मा, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं नारायणपुर पूर्व में नियुक्त परिसमापकों के सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण होने के कारण छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार एवं छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15/सहकारिता/19/15-2/2012/1 दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए कॉलम 05 में नियुक्त परिसमापकों के स्थान पर कॉलम 06 में वर्णित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी समितियों का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

क्र.	समितियों का नाम	पंजीयक क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र./दिनांक	पूर्व परिसमापक का नाम व पद	संशोधित परिसमापक का नाम व पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ईंट खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या. नारायणपुर.	21/27-01-1978	356/12-07-1994	श्री डी. डी. मानिकपुरी/ स.वि.अ. नारायणपुर.	कु. यामिनी ओट्टी/ उप.अंके.
2.	विजय ब्रिक्स एवं टाईल्स सहकारी समिति मर्या., नारायणपुर.	07/13-03-1967	134/21-01-1981	श्री पी. के. खरे, प्रबंधक, (खादी ग्रामोद्योग) जिला उद्योग केन्द्र, कांकेर.	कु. यामिनी ओट्टी/ उप.अंके.
3.	प्राथमिक यातायात सहकारी समिति मर्या. नारायणपुर.	267/26-08-1991	872/28-06-2002	श्री टी. एस. अवधिया/ स.वि.अ. कोण्डागांव.	हेमन्त कुमार कुर्राम/ उप.अंके.
4.	बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. छोटेडोंगर.	429/27-03-1958	1117/28-08-1988	श्री टी. एस. अवधिया/ स.वि.अ. कोण्डागांव.	हेमन्त कुमार कुर्राम/ उप.अंके.
5.	बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बेड़माकोट.	44/30-11-1959	1117/28-08-1988	श्री डी. डी. मानिकपुरी, स.वि.अ. नारायणपुर.	पी. एस. ध्रुव/उप.अंके.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	आदिवासी विकास सहकारी समिति मर्या. सोनपुर	370/11-01-1996	872/28-06-2002	श्री टी. एस. अवधिया/ स.वि.अ. कोण्डागांव.	श्री टी. आर. नागेश व.स.नि. नारायणपुर.
7.	माँ नारी शक्ति बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. नारायणपुर.	548/23-03-2009	2011-12	श्री टी. आर. नागेश स.वि.अ. नारायणपुर.	श्री सुदेस साव स.नि. नारायणपुर.

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा जो आज दिनांक 27-06-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की जा रही है.

आशीष कुमार शर्मा,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां जिला-कोण्डागांव

कोण्डागांव, दिनांक 1 जुलाई 2014

[छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/स.पं.को/परिसमापन/2014/417.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./103 दिनांक 28-02-2013 के द्वारा आदिवासी मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या. केशकाल जिला कोण्डागांव, जिसका पंजीयन क्रमांक/AR/KNK/03 दिनांक 24-10-1983 है, को छ.ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी. मजुमदार स.वि.अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं आशीष शर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां कोण्डागांव छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-51-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयन की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-06-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आशीष शर्मा,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 8 अगस्त 2014

[छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंबा/परि./2014/338.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2013/702 बालोद, दिनांक के तहत रानी माँ पत्थर तोड़ सहकारी समिति मर्या. नर्रा पं. क्र. 180 को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री पीताम्बर ठाकुर अंकेक्षण अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

—परिसमापक के द्वारा परिसमापन का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बालोद छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक 5-1-99-15-1-सी दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 08-08-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 12 अगस्त 2014

क्रमांक/उपंबा/पंजी./2014/353.—परिसमापित ईरा प्राथमिक मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या. दल्लीराजहरा पं. क्र. 160 दिनांक 02-01-2008 विकासखंड डौंडी जिला बालोद को पुनर्जीवित करने हेतु परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 06-08-2014 के अनुसार संस्था के सदस्यों की विशेष आमसभा दिनांक 10-06-2014 के संकल्प क्र. 01 में संस्था को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है. संस्था में कुल 25 सदस्य है. वर्तमान में संस्था को कोई कार्य न मिलने के कारण संस्था के सदस्य अन्य स्थानों में कार्य कर रहे हैं. संस्था सदस्य द्वारा नगर पालिका एवं अन्य जगह से कार्य प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं. काम प्राप्त होते ही संस्था को प्रारंभ करना चाहते हैं.

अत: परिसमापक की अनुशंसा एवं सदस्यों को रोजगार प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए मैं जॉन खलखो उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बालोद सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (4) के अंतर्गत छ.ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/ एफ-15 दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ईरा प्राथमिक मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या. दल्लीराजहरा पं. क्र. 160 दिनांक 02-01-2008 को पुनर्जीवित करता हूं.

चूंकि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है अत: संस्था के कार्य संचालन हेतु श्री बी. एल. नेताम सहकारी निरीक्षक बालोद को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 12-08-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

जॉन खलखो,
उप पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2014

छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा (1) (2) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2014/1048.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/1641/दिनांक 01-12-2006 के तहत् सर्वोत्तम बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. जोंकी, पं. क्र. 187 दिनांक 18-01-2005 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री जी. पी. बिन्द, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् सर्वोत्तम बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. जोंकी पं. क्र. 187 दिनांक 18-01-2005 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 30-05-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2014

छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा (1) (2) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2014/1049.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/1011/दिनांक 14-5-2008 के तहत् जय दुर्गा महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मेन्ड्रा, पं. क्र. 100 दिनांक 04-11-2000 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री जी. पी. बिन्द, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् जय दुर्गा महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मेन्ड्रा, पं. क्र. 100 दिनांक 04-11-2000 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 30-05-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2014

छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा (1) (2) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2014/1050.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/622/दिनांक 15-5-2007 के तहत् मुरूम खदान सहकारी समिति मर्या. सकरी, पं. क्र. 3875 दिनांक 07-08-1997 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री जी. पी. बिन्द, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् मुरूम खदान सहकारी समिति मर्या. सकरी, पं. क्र. 3875 दिनांक 07-08-1997 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 30-05-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2014

छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा (1) (2) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2014/1051.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/1006/दिनांक 14-5-2008 के तहत् कादम्बरी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. उस्लापुर, पं. क्र. 104 दिनांक 01-02-2001 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री जी. पी. बिन्द, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् कादम्बरी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. उस्लापुर, पं. क्र. 104 दिनांक 01-02-2001 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 30-05-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2014

छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा (1) (2) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2014/1052.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/998/दिनांक 14-5-2008 के तहत् महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. काठाकोनी, पं. क्र. 185 दिनांक 30-12-2001 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री जी. पी. बिन्द, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. काठाकोनी, पं. क्र. 185 दिनांक 30-12-2001 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 30-05-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2014

छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा (1) (2) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2014/1053.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2005/1278/दिनांक 17-10-2005 के तहत् मुरूम खदान सहकारी समिति मर्या. परसदा, पं. क्र. 3742 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री जी. पी. बिन्द, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् मुरूम खदान सहकारी समिति मर्या. परसदा, पं. क्र. 3742 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 30-05-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2014

छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा (1)(2) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2014/1054.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/1005/दिनांक 14-5-2008 के तहत् बालाजी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सकरी, पं. क्र. 105 दिनांक 03-02-2001 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री जी. पी. बिन्द, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् बालाजी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सकरी, पं. क्र. 105 दिनांक 30-02-2001 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 30-05-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2014

छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा (1)(2) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2014/1056.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/715/दिनांक 09-06-2006 के तहत् सत्नाम ईट भट्ठा सहकारी समिति मर्या. टिहलाडीह, पं. क्र. 3456 दिनांक 09-01-1992 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री जी. पी. बिन्द, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् सत्नाम ईट भट्ठा सहकारी समिति मर्या. टिहलाडीह, पं. क्र. 3456 दिनांक 09-01-1992 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 30-05-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2014

छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा (1)(2) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2014/1057.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/999/दिनांक 18-8-2005 के तहत् अनुसूचित जाति रेत खनिज सहकारी समिति मर्या. घुटकु, पं. क्र. 3858 दिनांक 07-05-1997 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री जी. पी. बिन्द, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् अनुसूचित जाति रेत खनिज सहकारी समिति मर्या. घुटकु, पं. क्र. 3858 दिनांक 07-05-1997 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 30-05-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

उमेश तिवारी,
उप पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं मर्यादित बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2014

क्रमांक/क्यू./2014/परिसमापन/Q/1.—छ.ग. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के उप नियम 57 (5) के तहत् यह सूचित किया जाता है कि निम्नांकित समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्रमांक	परिसमापन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापक	स्थान
1.	शिवम् गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित बिलासपुर.		आर. एल. सिंह वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ.ग.

आर. एल. सिंह,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/परिसमापक.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2014

क्रमांक/क्यू./2014/परिसमापन.—छ.ग. सहकारी संस्थायें नियम 1962 के उप नियम 57 (5) के तहत् यह सूचित किया जाता है कि निम्नांकित समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्रमांक	परिसमापन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापक	स्थान
1.	सेनगंगा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., देवनंदननगर, सरकंडा, बिलासपुर.	89	के. एस. ठाकुर वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.

के. एस. ठाकुर,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थायें मर्या., बिल्हा (छ.ग.)

बिल्हा, दिनांक 31 मई 2014

क्रमांक/क्यू./2014/परिसमापन.—छ.ग. सहकारी संस्थायें नियम 1962 के उप नियम 57 (5) के तहत् यह सूचित किया जाता है कि निम्नांकित समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र.	परिसमान समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्या., मगरउछाल	3396	अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बिल्हा.	उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर.
2.	मजदूर ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्या., पौसरा	3717	—,,—	—,,—
3.	खनिज सहकारी समिति मर्या., अमलीडीहा	3798	—,,—	—,,—
4.	बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चकरभाठा	757	—,,—	—,,—
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रमतला	3189	—,,—	—,,
6.	बजरंग फर्शीपत्थर खदान सहकारी समिति मर्या., ओंडगन.	3121	—,,—	—,,—
7.	खनित सहकारी समिति मर्या., पौंसरी	3793	—,,—	—,,—
8.	फर्शीपत्थर खदान सहकारी समिति मर्या., पौंसरी	3105	—,,—	—,,—
9.	खनित प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., मुढ़ीपार	3807	—,,—	—,,—
10.	नव जागृति मछुआ सहकारी समिति मर्या., बिरकोना	3552	—,,—	—,,—
11.	लाल बहादुर शास्त्री प्रा. उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या., बोदरी.	3670	—,,—	—,,—
12.	खनिज सहकारी समिति मर्या., हरदीकला	3802	—,,—	—,,—
13.	आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्या., मटियारी	3580	—,,—	—,,—
14.	क्रांति मछुआ सहकारी समिति मर्या., पौंसरा	3686	—,,—	—,,—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	चावल दाल सहकारी समिति मर्या., बिल्हा	2761	अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बिल्हा.	उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर.
16.	आदर्श खनिज सहकारी समिति मर्या., दोमुहानी	3778	—,,—	—,,—
17.	करूहा बाबा सहकारी समिति मर्या., सेन्दरी	3799	—,,—	—,,—
18.	साई बाबा सैनिक सामूहिक सहकारी समिति मर्या., बिरकोना.	2907	—,,—	—,,—
19.	वरूण देव सहकारी समिति मर्या., बोदरी	3151	—,,—	—,,—
20.	गतौरी फल फूल सहकारी समिति मर्या., गतौरी	3810	—,,—	—,,—
21.	फल फूल साग सहकारी समिति मर्या., बाम्हू	3537	—,,—	—,,—
22.	श्री बजरंग प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बिल्हा	3465	—,,—	—,,—
23.	गणेश राधेश्याम सामुहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., सल्का 1.	3989	—,,—	—,,—
24.	गणेश राधेश्याम सामुहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., सल्का 2.	3990	—,,—	—,,—
25.	उदवहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या., चिल्हाटी	2947	—,,—	—,,—
26.	श्री कृष्ण सिंचाई सहकारी समिति मर्या., लगरा	3004	—,,—	—,,—
27.	लक्ष्मी सिंचाई सहकारी समिति मर्या., खैरखुडी	3013	—,,—	—,,—
28.	उदवहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या., सेन्दरी	3037	—,,—	—,,—
29.	शिव उदवहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या., मोहदा	3013	—,,—	—,,—
30.	कुम्हारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बिल्हा	2724	—,,—	—,,—
31.	प्राथमिक मंदिर चौक रेत ट्रक परिवहन सहकारी समिति मर्या., धौराभाठा.	71	—,,—	—,,—
32.	जय बजरंग रेत खनिज सहकारी समिति मर्या., लगरा	3754	—,,—	—,,—
33.	अम्बा मछुआ सहकारी समिति मर्या., बिटकुली	3857	—,,—	—,,—
34.	छ.ग. महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., झलका	229	—,,—	—,,—
35.	शक्ति मछुआ सहकारी समिति मर्या., सेवार	3953	—,,—	—,,—
36.	चंपा बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कछार	219	—,,—	—,,—
37.	एकता मछुआ सहकारी समिति मर्या., पेन्डरवा	225	—,,—	—,,—
38.	नवयुवक मछुआ सहकारी समिति मर्या., अकलतरी	3550	—,,—	—,,—
39.	आदर्श खनिज सहकारी समिति मर्या., अमेरी अकबरी	3696	—,,—	—,,—

अरूण कुमार शर्मा,
परिसमापक/सह.वि.अधि.

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थायें, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जून 2014

क्रमांक/उपजां/परि./2014/1098.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जांजगीर-चांपा के आदेश क्र./उपजां/साख/13/762 दिनांक 13-05-2013 द्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित सहकारी समितियों को छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया है. उक्त संबंध में सूचित किया जाता है अधोलिखित समितियों से किसी सदस्य/व्यक्ति या संस्था को कोई लेना या देना हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के

60 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष मय साक्ष्य अपना आपत्ति/दावा प्रस्तुत किया जा सकता है तथा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि जिन किसी सदस्य, व्यक्ति या संस्था के पास इन समितियों की कोई भी चल या अचल संपत्ति या समिति का अभिलेख/दस्तावेज हो तो उक्त अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षर को सौंप देवें. उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी सदस्य/व्यक्ति या संस्था के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई संपत्ति, अभिलेख या दस्तावेज पाये जाते हैं, तो संबंधित पर विधान के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी. निर्धारित अवधि के भीतर कोई दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं होता है तो समिति में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार परिसमापन की अंतिम कार्यवाही की जावेगी.

अनुसूची

क्र. (1)	समिति का नाम (2)	पं. क्र./दिनांक (3)
1.	लखेश्वर प्राथ. सह. उपभो. भण्डार मर्या., खरौद	177/04-07-80
2.	राधाकृष्ण दुग्ध उत्पादन सह. स. मर्या., पामगढ़	12/08-08-71
3.	लखेश्वर दुग्ध उत्पादन सह. स. मर्या., खरौद	07/03-08-71
4.	शिव दुग्ध उत्पादन सह. स. मर्या., राहौद	10/03-08-71
5.	श्री कल्व दुग्ध उद्योग सह. स. मर्या., लोहर्सी	11/03-08-71
6.	जय दुर्गा दुग्ध उद्योग सह. स. मर्या., पचरी	06/06-05-71
7.	प्रेम दुग्ध उद्योग सह. स. मर्या. बुंदेला	09/03-08-71
8.	कोनारगढ़ दुग्ध उद्योग सह. स. मर्या., कोनार	13/03-08-71
9.	मेउ दुग्ध उद्योग सह. स. मर्या., मेउ	238/22-12-98
10.	कोसा दुग्ध उद्योग सह. स. मर्या., कोसा	236/15-12-98
11.	दुग्ध उद्योग सह. स. मर्या., कोसला	237/15-12-98

एस. एन. चकलादार,
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जून 2014

क्रमांक/परिसमापन/2013/Q.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जांजगीर-चांपा के आदेश क्र./उपजां/परिसमापन/13/762 दिनांक 13-05-2013 द्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित सहकारी समितियों को छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया है. उक्त संबंध में सूचित किया जाता है अधोलिखित समितियों से किसी सदस्य/व्यक्ति या संस्था को कोई लेना या देना हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 60 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष मय साक्ष्य अपना आपत्ति/दावा प्रस्तुत किया जा सकता है तथा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि जिन किसी सदस्य, व्यक्ति या संस्था के पास इन समितियों की कोई भी चल या अचल संपत्ति या समिति का अभिलेख/दस्तावेज हो तो उक्त अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षर को सौंप देवें. उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी सदस्य/व्यक्ति या संस्था के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई संपत्ति, अभिलेख या दस्तावेज पाये जाते हैं, तो संबंधित पर विधान के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी. निर्धारित अवधि के भीतर कोई दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं होता है तो समिति में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार परिसमापन की अंतिम कार्यवाही की जावेगी.

अनुसूची

विकासखण्ड-बलौदा

क्र. (1)	समिति का नाम (2)	पं. क्र./दिनांक (3)
1.	जय भारत बुन. सह. समिति. मर्या., पंतोरा	70/07-09-1979

(1)	(2)	(3)
2.	आजाद हथकरघा बुन. सह. समिति, जावलपुर	76/03-03-1980
3.	मछुवा सह. समिति मर्या., बुड़गहन	99/22-01-1980
4.	मछुवा सह. समिति मर्या., पंतोरा	267/21-06-2001
विकासखण्ड-अकलतरा		
1.	श्री कृष्ण बुनकर सह. समिति मर्या., अकलतरा	79/20-12-1980
2.	सामूहिक कृषि सह. समिति बेलंदियाडीह	28/19-06-1973

जी. पी. उपाध्याय,
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जून 2014

क्रमांक/परि./2014.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जांजगीर-चांपा के आदेश क्र./उपुंजां/परिसमापन/13/762 दिनांक 13-05-2013 द्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित सहकारी समितियों को छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया है. उक्त संबंध में सूचित किया जाता है अधोलिखित समितियों से किसी सदस्य/व्यक्ति या संस्था को कोई लेना या देना हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 60 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष मय साक्ष्य अपना आपत्ति/दावा प्रस्तुत किया जा सकता है तथा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि जिन किसी सदस्य, व्यक्ति या संस्था के पास इन समितियों की कोई भी चल या अचल संपत्ति या समिति का अभिलेख/दस्तावेज हो तो उक्त अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षर को सौंप देवें. उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी सदस्य/व्यक्ति या संस्था के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई संपत्ति, अभिलेख या दस्तावेज पाये जाते हैं, तो संबंधित पर विधान के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी. निर्धारित अवधि के भीतर कोई दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं होता है तो समिति में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार परिसमापन की अंतिम कार्यवाही की जावेगी.

अनुसूची

क्र. (1)	समिति का नाम (2)	पं. क्र./दिनांक (3)
1.	जय बजरंग ईंट खपरा उद्योग सह. स. मालखरौदा	135/04-11-92
2.	मां दुर्गा ईंट खपरा उद्योग सह. स. बीरभाठा	128/03-12-91
3.	उद्वहन सिंचाई सह. स. भेड़ीकोना	26/30-03-73
4.	विकास ट्रक बस परिवहन सह. स. सिंघरा	139/27-3-93

एम. एल. देवांगन,
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जून 2014

क्रमांक/परि./2014.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जांजगीर-चांपा के आदेश क्र./उपंजां/साख/13/762 दिनांक 13-05-2013 द्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित सहकारी समितियों को छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया है. उक्त संबंध

में सूचित किया जाता है अधोलिखित समितियों से किसी सदस्य/व्यक्ति या संस्था को कोई लेना या देना हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 60 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष मय साक्ष्य अपना आपत्ति/दावा प्रस्तुत किया जा सकता है तथा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि जिन किसी सदस्य, व्यक्ति या संस्था के पास इन समितियों की कोई भी चल या अचल संपत्ति या समिति का अभिलेख/दस्तावेज हो तो उक्त अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षर को सौंप देवें. उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी सदस्य/व्यक्ति या संस्था के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई संपत्ति, अभिलेख या दस्तावेज पाये जाते हैं, तो संबंधित पर विधान के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी. निर्धारित अवधि के भीतर कोई दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं होता है तो समिति में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार परिसमापन की अंतिम कार्यवाही की जावेगी.

अनुसूची

क्र. (1)	समिति का नाम (2)	पं. क्र./दिनांक (3)
1.	पत्थर उत्खनन सह. स. मर्या., डूमरपारा	239/01-12-99
2.	पत्थर उत्खनन सह. स. मर्या., डेरागढ़	240/05-02-99
3.	उद्वहन सिंचाई सह. स. मर्या., पासीद	50/08-11-74
4.	सिंचाई सह. स. मर्या., डोड़की	20/17-02-73
5.	उद्वहन सिंचाई सह. स. मर्या., हरेठी	47/29-03-74
6.	संयुक्त कृषि सह. स. मर्या., देवरानी नं. 1	2667/13-04-64
7.	संयुक्त कृषि सह. स. मर्या., देवरानी नं. 2	767/23-03-65
8	सामूहिक कृषि सह. स. मर्या., डेरागढ़	41/14-12-73
9.	विकास बीज उत्पादन सह. स. मर्या., सक्ती	193/15-10-96
10.	हरिजन मछुआ उत्पादन सह. स. मर्या., देवरी	141/22-05-93
11.	महामाया मछुआ उत्पादन सह. स. मर्या., सक्ती	2830/15-11-66
12.	बहुउद्देशीय सह. स. मर्या., मसनियाकलां	24/13-03-61

व्ही. के. तिवारी,
परिसमापक एवं वरि. सह. निरीक्षक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय ...